[illegible handwriting]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख
	[illegible handwriting]	
19.08.2025	पत्रावली• आज पेश हुई। बार एसोसिएशन श्रीमाधोपुर के द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन रखे जाने कारण आज निर्णय नही सुनाया जा सका। अतः प्रकरण को पुनः बहस मे लिया जाता है । वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26.09.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
26.09.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। प्रकरण मे बहस वकील प्राथी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 03.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
03.10.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
08.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायाहित में स्वीकार कि[illegible]ग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जा[illegible] पृथक से लिखाया जाकर शामिल प[illegible]या। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible]र हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
204 / 2024	2024 / 422	03.12.2024	08.10.2025

उनवान प्रकरण

1. विशालसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—वादी—

बनाम्

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजपालसिंह
2. सुल्तानसिंह पुत्र राजपालसिंह
3. कल्याणसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह
   जाति राजपूत निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर राजस्थान
4. उप पंजियक तहसील अजीतगढ
5. पटवारी पटवार हल्का झाडली
6. पटवारी पटवार हल्का कल्याणपुरा
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :–

श्री कानाराम पूनियां , एड० प्रार्थी अभिभाषक।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. कृषि भूमि खसरा नम्बर 5016, 5018 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 4522 से 4528, 5002, 5003 कुल किता 9 कुल रकबा 3.1800 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। तन ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362, 1363, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4300 हैक्टर में 1/6 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। उभय पक्षकारान आपस में एक ही परिवार से है एवं कृषि भूमियां की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनका पक्षकारान ने पारिवारिक सैटिलमेन्ट बाहमी बंटवारा काश्त की सुविधा के अनुसार कर रखा है जिसके अनुसार उक्त वर्णित भूमियां खसरा नम्बर 5016, 5018 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर संपूर्ण एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 5047 रकबा 0.2500 हैक्टर संपूर्ण पर अकेला प्रार्थी विशालसिंह काबिज काश्त चला आ रहा है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 5002, 5003 कुल किता 9 कुल रकबा 3.1800 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 3 कल्याणसिंह एवं 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा है एवं उक्त वर्णित भूमि प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1401/2016, 1402 कुल किता 2 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा पर प्रार्थी विशालसिंह एवं 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा हे एवं उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1360 से 1363, 1368 से 1376 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4300 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 3 कल्याणसिंह अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जा काश्त में मजाहमत करने व वादग्रस्त भूमियों को दिगर को विकय रहन अन्तरण करने व दिगर का बलता कब्जा करवाने व भूमियों को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थी को भूमियों से बेदखल करने व दिगर से करवाने को कोई अधिकारी किसी किश्म का नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. कृषि भूमि खसरा नम्बर 5016, 5018 कुल किता 2 कूल रकबा 0.9900 हैक्टर व तन ग्राम झाडली पटवार हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 4522 से 4528, 5002, 5003 कुल किता 9 कूल रकबा 3.1800 हैक्टर व तन ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362, 1363, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376 कुल किता 13 कुल कुल रकबा 3.4300 हैक्टर में प्रार्थी की हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत पैदा नहीं करे ना ही बेदखल करे ना ही भूमियों को किसी दिगर को किसी प्रकार से विक्रय रहन अनतरण करे ना ही भूमियों को खुर्द बुर्द करे ना ही दीगर से करावे ना ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा करे ना दीगर से करावे अप्रार्थीगण को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि के बाबत होने कोई दस्तावेज, अन्तरण लेख आदि को किसी प्रकार से तस्दीक नही करे, ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे, रिकार्ड ... की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अ... अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र ... निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जरिये रजिस्टर्ड डाक से भी जारी करने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल
में लाई जाने से वकील प्रार्थी ने बहस सुने जाने का निवेदन किया है।
प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई।
वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते
हुए कथन किया कि तन ग्राम श्रावली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. कृषि भूमि
खसरा नम्बर 5016, 5018 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व
अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। तन ग्राम श्रावली पटवार हल्का श्रावली तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 4522 से 4528, 5002, 5003 कुल किता 9
कुल रकबा 3.1800 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज
है। तन ग्राम सुरानी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. में अवस्थित कृषि भूमि खसरा
नम्बर 1360, 1361, 1362, 1363, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1376 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4300 हैक्टर में 1/6 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी व
अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। उक्त पक्षकारान आपस में एक ही परिवार से है एवं
कृषि भूमियां की पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनका पक्षकारान ने पारिवारिक सैटलमेन्ट बाद्मी
बंटवारा काश्त की सुविधा के अनुसार कर रखा है जिसके अनुसार उक्त वर्णित भूमियां
खसरा नम्बर 5016, 5018 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर संपूर्ण एवं कृषि भूमि
खसरा नम्बर 5047 रकबा 0.2500 हैक्टर संपूर्ण पर अकेला प्रार्थी विशालसिंह काबिज काश्त
चला आ रहा है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528,
5002, 5003 कुल किता 9 कुल रकबा 3.1800 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के
नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के स्थान पर 1/4 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 3 कल्याणसिंह एवं
1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त चला
आ रहा है एवं उक्त वर्णित भूमि प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1401/2016, 1402 कुल किता 2
कुल रकबा 3.6500 हैक्टर में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के
स्थान पर 1/4 हिस्सा पर प्रार्थी विशालसिंह एवं 1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं
1/8 हिस्सा पर अप्रार्थी संख्या 2 काबिज काश्त चला आ रहा है एवं उक्त वर्णित भूमि
खसरा नम्बर 1360 से 1363, 1368 से 1376 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4300 हैक्टर में
प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 3
कल्याणसिंह अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है इसलिए उक्तानुसार भूमियां की
खातेदारी प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थी के
कब्जा काश्त में मजाहमत करने व वादग्रस्त भूमियों को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण करने
व दिगर का बलता कब्जा करवाने व भूमियों को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थी को भूमियों से
बेदखल करने व दिगर से करवाने को कोई अधिकारी किसी किश्म का नहीं है। प्रार्थी का
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे। ऐसा निवेदन वकील प्रार्थी ने
अपनी बहस में किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी की
बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर रामेश्वरम पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध
साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077 इत्यादि का

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान मे दर्ज रिकार्ड है। जिसके अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियां प्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। वादग्रस्त आराजी भूमियां की प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होकर अपनी भूमि पर पूर्णत काबिज काश्त चली आना स्पष्ट होता है। जिसके आधार पर अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मे प्राप्त नहीं होते है। जहाँ तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण कानूनन खातेदार काश्तकार होने का कथन किया है। वह मूल वादपत्र में बाद तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान् की साक्ष्य, सुनवाई लिये जाने के उपरान्त ही निर्णय होगा। प्रार्थी के उक्त वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे होना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर प्रार्थी के पक्ष में होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार कर उभय पक्षकारान को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 5016, 5018 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9900 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 5047 रकबा 0.2500 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 4522 से 4528, 5002, 5003 कुल किता 9 कुल रकबा 3.1800 हैक्टर तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1401/2016, 1402 कुल किता 2 कुल रकबा 3.6500 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1360 से 1363, 1368 से 1376 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4300 हैक्टर तन ग्राम सुराणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:14:39 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)